CSSA

Hindi 印度語

व्यापक सामाजिक सुरक्षा सहायक योजना

Social Security Assistance Scheme



एक व्यक्ति विभिन्न कारणों से वित्तीय किठनाइयों से जूझ सकता है जैसे वृद्धावस्था, विकलांगता, बीमारी, बेरोजगारी और कम आय। सीएसएसए योजना, ऐसे व्यक्ति और परिवारों को उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए एक निर्धारित स्तर तक आय प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना का प्रबंध समाज कल्याण विभाग (एसडबल्यूडी) द्वारा उन लोगों को सुरक्षा घेरा प्रदान किया जाता है, जो वित्तिय रूप से सक्षम नहीं हो सकते। यह गैर-अंशदान परंतु परखे गए उपाय हैं।

1. योग्यता मापदं**ड**

सहायता हेतु योग्य बनने के लिए एक आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को ज़रूर पूरा करना चाहिए:

A. आवास ज़रूरतें

आवेदक को:

- (a) हांगकांग का एक निवासी होना चाहिए;
- (b) हांगकांग का निवासी दर्जा एक वर्ष से कम अवधि के लिए नहीं होना चाहिए; और
- (c) हांगकांग में कम से कम एक वर्ष के लिए रहे हों (हांगकांग निवासी दर्जा प्राप्त करने के बाद आवेदन की तिथि से पहले की तिथि तक)। एक-वर्ष का निवास निरंतर या आवेदन की तिथि से तुरंत पहले का होना आवश्यक नहीं है। आवेदन की तिथि से पहले हांगकांग से अधिकतम 56 दिनों की अनुपस्थिति (चाहे निरंतर हो या विराम के साथ) हांगकांग में निवास के तौर पर मानी जाएगी।

नोट:

- (1) वह व्यक्ति जिसकी हांगकांग में उपस्थिति गैर-कानूनी हो या वह व्यक्ति जिसे हांगकांग में निवास के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से हांगकांग में रहने की अनुमित मिली हो (उदाहरण के लिए, वे व्यक्ति जो आव्रजन विनियमन कैप. 115A के विनियमन 2 में निर्धारित अनुसार आवास की शर्तों के अधीन हों, जैसे कि मजदूर या आगंतुक), उसे सीएसएसए योजना में शामिल नहीं किया जाता है।
- (2) सीएसएसए के लिए आवेदन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के हांगकांग के निवासियों को उपरोक्त (b) और (c) आवश्यकताओं में छूट मिलती है।
- (3) कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, समाज कल्याण निदेशक के निर्णय से उस व्यक्ति को सीएसएसए की अनुमति दी जा सकती है जो आवास जरूरतों को पुरा न करता हो।

B. वित्तीय टेस्ट

आवेदक को आय और संपत्ति दोनों टेस्ट पास करने होंगे। यदि आवेदक किसी अन्य पारिवारिक सदस्य के साथ रह रहा है, तो आवेदन घरेलू आधार पर बनाया जाए। सहायता के लिए परिवार की योग्यता निर्धारित करने के लिए उसी घर के सभी सदस्यों की कुल आय और संपत्ति को ध्यान में रखा जाता है।

(a) आय टेस्ट

आवेदक और उसका परिवार सीएसएसए के योग्य है यदि उनकी कुल मूल्यांकन योग्य मासिक घरेलू आय योजना के तहत मान्यता प्राप्त उनकी मासिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

(b) संपत्ति टेस्ट

आवेदक की पूंजी का कुल मूल्य* (भूमि/संपत्तियां, नकद, बैंक बचत, बीमा पॉलिसी का नकद मूल्य, वार्षिक योजनाओं का सरेंडर पूर्व/सरेंडर उपरांत मूल्य, स्टॉक और शेयरों में निवेश, तुरंत वसूल होने वाली संपत्ति) और उसके परिवार के सदस्य निर्धारित सीमा से अधिक न कमाते हों।

* वे जो हांगकांग, मकाउ, मेनलैंड या विदेशों में रहते हैं सहित

C. सक्षम वयस्कों के लिए अतिरिक्त मापदंड

सामान्य स्वास्थ्य वाले 15-59 आयु के व्यक्ति को सक्रिय रूप से पूर्णकालिक नौकरी तथा आत्मनिर्भरता योजना के समर्थन में भागीदारी करनी चाहिए यदि वे बेरोजगार हों या अंशकालिक कार्य करते हों या एसडबल्यूडी द्वारा निर्धारित किए उचित वेतन से कम कमाते हों।

2. कसे आवेदन करं

एक व्यक्ति अपने निवास स्थान के नजदीकी समाज सुरक्षा क्षेत्र इकाई में प्रत्यक्षतः फोन द्वारा, फैक्स द्वारा, ई-मेल द्वारा, पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकता है। अन्य सरकारी विभाग या गैर-सरकारी विभाग द्वारा एसडबल्यूडी के लिए रेफरल द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है। समाज सुरक्षा क्षेत्र इकाइयों के पते और टेलिफोन नंबरों के लिए, आप http://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_socsecu/sub_addressesa/ पर अपने विभाग के होमपेज पर जा सकते हैं।

A person may suffer financial hardship for various reasons such as old age, disability, illness, unemployment and low earnings. The Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) Scheme is designed to bring the income of such individuals and families up to a prescribed level to meet their basic needs. This Scheme is administered by the Social Welfare Department (SWD) to provide a safety net for those who cannot support themselves financially. It is non-contributory but means-tested.

1. Eligibility Criteria

To be eligible for assistance, an applicant must satisfy the following conditions:

A. Residence Requirement

The applicant must:

- (a) be a Hong Kong resident;
- (b) have held the Hong Kong resident status for not less than one year; and
- (c) have resided in Hong Kong for at least one year (since acquiring the Hong Kong resident status to the date prior to the date of application). The one-year residence need not be continuous or immediately before the date of application. Absence(s) from Hong Kong up to a maximum of 56 days (whether continuous or intermittent) before the date of application is/are treated as residence in Hong Kong.

Notes:

- (1) Persons whose presence in Hong Kong are unlawful and persons admitted to Hong Kong for a purpose other than residence (i.e. those who are subject to conditions of stay prescribed in Regulation 2 of the Immigration Regulation Cap. 115A, such as imported workers and visitors) are excluded from the CSSA Scheme.
- (2) Hong Kong residents aged below 18 applying for CSSA are exempted from the requirements at (b) and (c) above.
- (3) In exceptional circumstances, CSSA may be granted at the discretion of the Director of Social Welfare to a person who does not satisfy the residence requirement.

B. Financial Tests

The applicant must pass both the income and asset tests. If the applicant is living with any other family members, the application has to be made on a household basis. The total income and assets of all family members in the same household are taken into account in determining the family's eligibility for assistance.

(a) Income Test

The applicant and his/her family will be eligible for CSSA if their total assessable monthly household income is insufficient to meet their total monthly needs as recognized under the Scheme.

(b) Asset Test

The total value of the capital assets* (including land/properties, cash. bank savings, cash value of insurance policies. pre-surrender/surrender value of annuity schemes, investments stocks and shares. and other readily realizable assets) of the applicant and his/her family members must not exceed the prescribed limit.

including those in Hong Kong, Macao, the Mainland or overseas

C. Additional Criteria for Able-bodied Adults

Persons aged 15 to 59 in normal health should actively seek full-time jobs and participate in the Support for Self-reliance Scheme of the SWD if they are unemployed or with monthly earnings or working hours less than the prescribed levels set by the SWD.

2. How To Apply

A person can make an application directly to a social security field unit near to his/her place of residence by phone, by fax, by e-mail, by post or in person. An application may also be made through a referral to the SWD by another government department or a non-governmental organization. For addresses and telephone numbers of social security field units, you may visit our Departmental Homepage at

http://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_socsecu/sub_addressesa/.